



Neutral Citation No. - 2026:AHC:20633

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 40021 वर्ष 2025

राम सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: भूपेंद्र पाल, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति अजय भनोट

इस मामले को पुनरीक्षित पुकार में सुना गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव और राज्य के विद्वान एजीए की बात सुनी गई।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दूसरी जमानत याचिका के माध्यम से, आवेदक ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 332, 353, 333, 307, 302, 396, 412, 120बी, 34, 504, 506 तथा आपराधिक विधि पुनरीक्षण अधिनियम की धारा 7 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 192/2020 में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की है। यह मामला चौबेपुर पुलिस स्टेशन, जिला कानपुर नगर में दर्ज है। आवेदक 03.08.2020 से जेल में है।

इस न्यायालय द्वारा वारंट की पहली जमानत याचिका दिनांक 08.02.2024 को खारिज कर दी गई थी। अवर न्यायालय द्वारा भेजी गई स्थिति रिपोर्ट में दर्ज है कि अभियोजन पक्ष 35 गवाहों से पूछताछ करने का प्रस्ताव रखता है। अब तक 28 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है। मुकदमा जारी है। इस स्तर पर, जमानत के लिए कोई नया आधार नहीं बनता है।

मामले की खूबियों में जाए बिना, जमानत याचिका खारिज की जाती है।

कानपुर नगर स्थित माननीय अवर न्यायालय यह सुनिश्चित करेगी कि आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 37810/2023 में दिनांक 08.02.2024 के आदेश द्वारा इस न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए मुकदमे को कानून के अनुसार शीघ्र समय सीमा में समाप्त किया जाए।

29 जनवरी 2026

आशीष त्रिपाठी

(न्यायमूर्ति अजय भनोट)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।